न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—230 / 2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 व 53 आरटीए

1. गुरवीर सिह पुत्र श्री बलकरण सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. हरमनजोत पुत्री बलकरण सिह आयु 14 वर्ष नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुखप्रीत कौर पत्नी बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैक लि. शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री भीम सेन पारीक वादी
श्री बलवन्त झोरड़ अधिवक्ता प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :— 15.07.2019

वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एंव प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के मुताबिक वही है जो कि दावा शीर्षक मे दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलकरण सिह पुत्र श्री महेन्द्र सिह के नाम से तहसील संगरिया के चक 18 एएमपी के खाता संख्या 56 / 61 जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में 5.567 है. नहरी कृषि भूमि मय गै.मु. रास्ता खाला के दर्ज कागजात माल है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को दावा की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी विरास्तन प्राप्त संयुक्त परिवार की आराजी है जो उसे विरास्तन तौर पर वादी के दादा से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा कानूनन बनता है, किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी अन्य दीगर लोगो के प्रभाव में होने से उक्त भूमि की आय का अपने निजि व्यसनों पर खर्च करने के

कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई। वादी व प्रतिवादीगण के रिश्तेदारो आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विरास्तन वादग्रस्त आराजी का घरू बंटवारा करवा दिया। मुताबिक बंटवारा वादी को निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुई है। चक 18 एएमपी के खाता संख्या 56/61 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पं.नं. 126/162 मु.नं. 31 किला नम्बर 12,13/0.506 है. नहरी व पं.नं. 126/164 मु.नं. 45 किला नं. 22/0.253 है. किला नं. 23/1/0.126 है. नहरी कुल 0.885 है. यानि 3 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि उक्त घरू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इसी खाता की शेष बची कृषि भूमि प्राप्त हुई, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बंटवारा के रोज से ही काबिज चले आ रहे है तथा कब्जा काश्त बाबत सहकाश्तकारान का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी के कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने के कारण वादी को काफी पेरशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण वादी अपने हिस्सा व कब्जा के मुताबिक घरू बंटवारा में प्राप्त आराजी की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कहा कि वह सहमति के आधार पर वादी को घरू बंटवारा में दी गई कृषि भूमि की घोषणा करवाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आज कल करते रहे व गत सप्ताह को बमुकाम शाहपीनी में ऐसा करने से स्पष्ट् रूप से इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 राज–पेरोकार ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी गुरवीर सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादी ने चक 18 एएमपी मे महेन्द्र सिह के नाम की जमाबन्दी पेश की गई है। साथ ही संरपच ग्राम पंचायत शाहपीनी द्वारा जारी वारीस तस्दीक प्रमाण पत्र मय बलकरण सिह की पत्नी सुखप्रीत कौर की ओर से सहमति का शपथ पत्र पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीा ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चक की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण वादी का इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने वादी के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 18 एएमपी मे महेन्द्र सिह के नाम की जमाबन्दी के संदर्भ में

वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादी ने पैतृक सम्पति साक्ष्य में पैतृक सम्पति साक्ष्य में पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादी ने चक 18 एएमपी मे महेन्द्र सिह के नाम की जमाबन्दी प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवष्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिग्री किया जाता है कि वादी को चक 18 एएमपी के खाता संख्या 56/61 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पं.नं. 126/162 मु.नं. 31 किला नम्बर 12,13/0.506 है. नहरी व पं.नं. 126/164 मु.नं. 45 किला नं. 22/0.253 है. किला नं. 23/1/0.126 है. नहरी कुल 0.885 है. यानि 3 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–230 / 2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88 / 53 आरटीए

1. गुरवीर सिह पुत्र श्री बलकरण सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–वादी

बनाम

1 बलकरण सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. हरमनजोत पुत्री बलकरण सिह आयु 14 वर्ष नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुखप्रीत कौर पत्नी बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैक लि. शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सेन पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बलवन्त झोरड़ वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चक 18 एएमपी के खाता संख्या 56 / 61 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पं.नं. 126 / 162 मु. नं. 31 किला नम्बर 12,13 / 0.506 है. नहरी व पं.नं. 126 / 164 मु.नं. 45 किला नं. 22 / 0.253 है. किला नं. 23 / 1 / 0.126 है. नहरी कुल 0.885 है. यानि 3 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया